

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
पर्यटन, उ0प्र0  
लखनऊ।

**पर्यटन अनुभाग**

**लखनऊ, दिनांक 24 मार्च, 2020**

**विषय:- जनपद लखनऊ के ऐशबाग स्थित रामलीला स्थल पर बहुउद्देशीय (तुलसी मानस ) हॉल के निर्माण हेतु अवशेष स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6150/6-1-1(874)/2020, दिनांक 13 फरवरी, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद लखनऊ के ऐशबाग स्थित रामलीला स्थल पर बहुउद्देशीय (तुलसी मानस )हॉल के निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 स्टेट कांस्ट्रक्शन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको) द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/23/41-2018-79(बजट)/2017 दिनांक 25 जनवरी 2018 द्वारा धनराशि रू0 1,20,78,000.00 (रूपये एक करोड बीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 60,39,000.00 (रूपये साठ लाख उन्तालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तदनन्तर शासनादेश संख्या-194/2018/3382/41-2018-79(बजट)/2017 दिनांक 28 दिसम्बर 2018 द्वारा विभागीय अप्रेजल समिति द्वारा आंकलित लागत के क्रम में प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति रू0 117.42 लाख (एक करोड सत्तरह लाख बयालीस हजार मात्र) जारी की गई है। तत्क्रम में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 60,39,000.00 के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता नियंत्रण प्रमाण पत्र, निरीक्षण आख्या, एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि रू0. 57.03 लाख की मांग की गई है।

3- अतः उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव-क्रम में शासनादेश संख्या-06/2018/23/41-2018-79(बजट)/2017 दिनांक 25 जनवरी 2018 एवं द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु प्रदान की गयी संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति रू0 117.42 लाख (एक करोड सत्तरह लाख बयालीस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0 57.03 लाख (रूपये सत्तावन लाख तीन हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-11/2019/81/41-2019-144(बजट)/2018 दिनांक 09 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या-194/2018/3382/41-2018-79(बजट)/2017 दिनांक 28 दिसम्बर 2018 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।
- (2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 29 जुलाई 2019 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। प्रायोजना के प्रस्तावित कार्य को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जज नहीं दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

- (3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2019 के प्रस्तर-2(8)(च) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।
- (7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
- (9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-360/दस-2020 दिनांक 20 मार्च 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

**संख्या- 111/2020/698/41-2020-79(बजट)/2017 तददिनांकः**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- मण्डलायुक्त, लखनऊ /जिलाधिकारी, लखनऊ ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, यूपीसिडको, लखनऊ।
- 9- अधिशासी अभियन्ता, यूपीसिडको, लखनऊ।
- 10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ।
- 11- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
- 12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।